

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)



क्रमांक / डीसीडीसी / 2020 / 2854

17 अगस्त 2020

:: अधिसूचना ::

सक्षम स्वीकृति के परिपालन में विश्वविद्यालय से अस्थायी संबद्ध अशासकीय महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में वर्तमान में संचालित सभी कोर्स/विषयों का सी.बी.सी.एस. तहत पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रणाली सत्र 2021-22 से इन सभी संबद्ध महाविद्यालयों में लागू किया जावेगा। इसका परिपालन करना सभी संबद्ध महाविद्यालयों के लिये अनिवार्य होगा। इन महाविद्यालयों में पूर्व सत्र 2019-20 तथा इस सत्र 2020-21 के अन्तर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों के विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर कोर्सों का पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रणाली पूर्व की भाँति यथावत रहेगी। इससे संबंधित सभी पाठ्यक्रम एवं सीबीसीएस प्रणाली का कार्य विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों की तहत कार्यालय, अकादमिक गतिविधियां के नियंत्रण में होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, अकादमिक गतिविधियाँ, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
2. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
3. अधिष्ठाता, छात्र गतिविधियाँ, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
4. परीक्षा नियंत्रक, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
5. प्राचार्य, समस्त अस्थायी संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
6. वित्ताधिकारी, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
7. प्रोफेसर इंचार्ज, आई.टी.सेल—को विश्वविद्यालय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
8. मीडिया प्रभारी, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
9. कुलपति के सचिव—को कुलपति महोदय के सूचनार्थ
10. सहायक कुलसचिव, कुलसचिव कार्यालय
11. कार्यालयीन नस्ती

कुलसचिव